इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अप्रैल 2013—वैशाख 7, शक 1935

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

फा. नं. 17(ई)121-2013-इक्कीस-ब(दो).—आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7) की धारा 6 के अधीन बनाए गये मध्यप्रदेश आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2013 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के भीतर अनुष्ठापित, आनन्द कारज के रूप में आमतौर पर ज्ञात आनन्द विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिये जिले के कलेक्टर को तथा उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक प्रशासन के किसी ऐसे अधिकारी को, जो उसका उत्तरवर्ती हो, चाहे वह कलेक्टर की रैंक का हो या न हो, संबंधित जिले का जिला रजिस्ट्रार तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रार प्राधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. खान,** प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

फा. नं. 17(ई)121-2013-इक्कीस-ब(दो).—आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आनन्द विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2013 है.

(2) ये, आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 29) के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (1909 का 7);

(ख) ''आनन्द विवाह'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित आनन्द कारज के रूप में आमतौर पर ज्ञात आनन्द विवाह;

(ग) ''जिला रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन प्राधिकृत किसी जिले का जिला रजिस्ट्रार;

(घ) ''प्रारूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप;

(ङ) ''रजिस्टर'' से अभिप्रेत है, विवाह रजिस्टर द्वारा संधारित किया जाने वाला आनन्द विवाह का रजिस्टर;

(च) ''रजिस्ट्रार'' से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन प्राधिकृत विवाहों का रजिस्ट्रार.

3. **विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्राधिकार.**—राज्य के भीतर अनुष्ठापित, आनन्द कारज के रूप में आमतौर पर ज्ञात आनन्द विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को—

(क) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट जिले के लिये जिला रजिस्ट्रार;

(ख) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये विवाहों का रजिस्ट्रार,

प्राधिकृत कर सकेगी.

4. **अधिकारिता.**—आनन्द विवाह, उस रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जिसकी कि अधिकारिता के भीतर ऐसा विवाह अनुष्ठापित हुआ हो.

5. **विवाहों के रजिस्टर का संधारण.**—रजिस्ट्रार, प्रारूप—एक में आनन्द विवाहों के रजिस्टर का संधारण करेगा.

6. **रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया.**—(1) आनन्द विवाह के पक्षकार, प्रारूप—दो में, दो प्रतियों में एक ज्ञापन तैयार करेंगे तथा उसे रजिस्ट्रार से समाधानप्रद रूप में विवाह के अनुष्ठापन को साबित करने वाले दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क पचास रुपये के साथ उनके विवाह अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे :

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व अनुष्ठापित विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिये ऐसा ज्ञापन, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा.

(2) ज्ञापन, विवाह के दोनों पक्षकारों द्वारा तथा कम से कम ऐसे दो अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिन्होंने कि विवाह को देखा हो.

(3) विवाह के ऐसे पक्षकार जिन्होंने अपने विवाह का उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया हो, रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में विवाह के अनुष्ठापन को साबित करने वाले दस्तावेजों तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क दो सौ रुपये के साथ रजिस्ट्रार को, प्रारूप—दो में ज्ञापन तथा प्रारूप—तीन में घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर अपने विवाह का रजिस्ट्रीकरण करवा सकेंगे :

परन्तु ऐसा घोषणा-पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी या सांसद या किसी विधायक या किसी स्थानीय स्वशासी शासकीय संस्था के पार्षद द्वारा अनुप्रमाणित कराया जाएगा.

7. **विवाह का सत्यापन तथा रजिस्ट्रीकरण.**—(1) जहां नियम 6 के उपनियम (1) अथवा उपनियम (3) के अधीन प्राप्त ज्ञापन तथा दस्तावेजों के सत्यापन तथा छानबीन करने पर रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है, वहां वह रजिस्टर में विवाह की विशिष्टियों की प्रविष्टि कर सकेगा तथा प्रारूप—चार में आनन्द विवाह का प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा.

(2) जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) पक्षकारों के बीच विवाह, आनन्द विवाह कर्म के अनुसार सम्पन्न नहीं हुआ है; या

(ख) पक्षकारों की या विवाह के अनुष्ठापन को प्रमाणित करने वाले साक्षियों की पहचान सिद्ध नहीं हुई है; या

(ग) उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से पक्षकारों की वैवाहिक हैसियत सिद्ध नहीं होती है तो, वह पक्षकारों से उनकी तथा साक्षियों की पहचान अथवा उसे प्रस्तुत की गई जानकारी या दस्तावेजों की शुद्धता को सिद्ध करने के लिये ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसी और जानकारी या दस्तावेज मांग सकेगा, जो कि वह ठीक समझे.

8. **आनन्द विवाह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाना.**—यदि विवाह के पक्षकार, नियम 7 के उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहते हैं, तो रजिस्ट्रार लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से विवाह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर सकेगा.

9. **रजिस्टर में की प्रविष्टियों का सुधार.**—रजिस्ट्रार का, यदि विवाह के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर, यह समाधान हो जाता है कि रजिस्टर में अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में नाम, आयु अथवा विवाह की तारीख के संबंध में की गई प्रविष्टियों में मुद्रण संबंधी अथवा कोई लिपिकीय त्रुटि है, तो वह जिला रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से समुचित सुधार कर सकेगा तथा ऐसे प्रत्येक सुधार पर अपने हस्ताक्षर करेगा.

10. **अपील.**—(1) रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर जिला रजिस्ट्रार को अपील फाईल कर सकेगा :

परन्तु यदि ऐसी अपील फाईल करने में कोई विलम्ब हुआ हो तो उसे जिला रजिस्ट्रार, यदि अपीलार्थी उसका यह समाधान करा देता है कि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण था, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से माफ कर सकेगा.

(2) जिला रजिस्ट्रार, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा.

11. **ज्ञापन का फाईल किया जाना.**—रजिस्ट्रार, किसी माह में प्राप्त हुए ज्ञापन को दो प्रतियों में, प्रत्येक पश्चात्वर्ती माह के दसवें दिन के पूर्व जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा.

(2) रजिस्ट्रार को प्राप्त ज्ञापन की मूलप्रति तथा जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित की गई दो प्रतियां उनके कार्यालयों में रखी जाएंगी.

(3) रजिस्ट्रार, नियम 9 के अधीन किए गए सुधारों की विशिष्टियां सुधार किए जाने की तारीख तथा उसकी एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को भी अग्रेषित करेगा.

प्ररूप—एक

(नियम 5 देखिए)

**आनन्द विवाहों का रजिस्टर**

1. विवाह की तारीख :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. विवाह का स्थान (हाल, सभागृह आदि विनिर्दिष्ट करें) | स्थानीय क्षेत्र | ग्राम | तहसील | जिला |

पति के हस्ताक्षर

| | |
|---|---|
| पति का छायाचित्र चस्पा किया जाए | पत्नी का छायाचित्र चस्पा किया जाए |

पत्नी के हस्ताक्षर

3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे (विवाह की तारीख को यथा विद्यमान)

| ब्यौरे | पति | पत्नी |
|---|---|---|
| (क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) | | |
| (ख) राष्ट्रीयता | | |
| (ग) आयु तथा जन्म तारीख (पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किया जाए) | | |
| (घ) स्थायी पता | | |
| (ङ) वर्तमान पता | | |
| *(च) पूर्व का वैवाहिक हैसियत | | |
| विवाहित | | |
| अविवाहित | | |
| विधुर | | |
| विधवा | | |
| विच्छिन्न-विवाह | | |
| (छ) क्या कोई पति अथवा पत्नी जीवित है (यदि हां तो, जीवित पति अथवा पत्नियों की संख्या) | | |
| (ज) पिता अथवा संरक्षक का नाम तथा संबंध | | |
| (एक) आयु | | |
| (दो) पता | | |
| (झ) माता का नाम | | |
| (एक) आयु | | |
| (दो) पता | | |

*(जो भी लागू हो उस पर (✔) चिन्हित करें).

4. विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

1. (क) नाम
   (ख) पता
2. (क) नाम
   (ख) पता

## कार्यालयीन उपयोग के लिए

5. ज्ञापन प्राप्ति की तारीख . . . . . . . . . . .

6. नियम 6 के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों / अभिलेखों / विवाह के सबूतों के ब्यौरे.

दिनांक :

रजिस्ट्रार :

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक / (वर्ष) दिनांक . . . . . . . . . .

**रजिस्ट्रार.**

## प्ररूप—दो

[नियम 6(1) देखिए]

### आनन्द विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन

1. विवाह की तारीख :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. विवाह का स्थान (हाल, सभागृह आदि विनिर्दिष्ट करें) | स्थानीय क्षेत्र | ग्राम | तहसील | जिला |

3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे (विवाह की तारीख को यथा विद्यमान)

| ब्यौरे | पति | पत्नी |
|---|---|---|
| (क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) | | |
| (ख) राष्ट्रीयता | | |
| (ग) आयु तथा जन्म तारीख (पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किया जाए) | | |
| (घ) स्थायी पता | | |
| (ङ) वर्तमान पता | | |
| *(च) पूर्व का वैवाहिक हैसियत | | |
| विवाहित | | |
| अविवाहित | | |
| विधुर | | |
| विधवा | | |
| विच्छिन्न-विवाह | | |
| (छ) क्या कोई पति अथवा पत्नी जीवित है (यदि हां तो, जीवित पति अथवा पत्नियों की संख्या) | | |
| तारीख सहित हस्ताक्षर | | |
| (ज) पिता का नाम | | |
| (एक) आयु | | |
| (दो) पता | | |
| हस्ताक्षर, तारीख सहित (यदि वह सहमति देने वाला पक्षकार है) | | |
| (झ) माता का नाम | | |
| (एक) आयु | | |
| (दो) पता | | |
| हस्ताक्षर, तारीख सहित (यदि वह सहमति देने वाला पक्षकार है) | | |

*(जो भी लागू हो उस पर (✔) चिन्हित करें).

4. विवाह के अनुष्ठापन के साक्षी

1. (क) नाम

(ख) पता

(ग) हस्ताक्षर, तारीख सहित

2. (क) नाम

(ख) पता

(ग) हस्ताक्षर, तारीख सहित

5. नियम 6 के अधीन अपेक्षित दस्तावेजों / अभिलेखों / विवाह के सबूतों के ब्यौरे.

पक्षकारों द्वारा घोषणा

हम ........................................................ एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ऊपर दर्शित किए गए ब्यौरे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं.

पक्षकारों के हस्ताक्षर.

स्थान : 1. पति

दिनांक : 2. पत्नी

(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

.................................................................................... को डाक से / व्यक्तिगत रूप से प्राप्त.

रजिस्ट्रार.

विवाहों के रजिस्टर में ........................................ (स्थान) में (दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . ) को रजिस्ट्रीकरण क्रमांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पर रजिस्ट्रीकृत किया गया.

रजिस्ट्रार.

प्ररूप—तीन

[नियम 6(3) देखिए]

**घोषणा**

हम, ........................................................ (पति और पत्नी का नाम) एतद्द्वारा, घोषणा करते हैं कि हमारा विवाह . . . . . . . . . . . . (विवाह की तारीख) को .................................. (विवाह का स्थान) में अनुष्ठापित हुआ था. नियम 6 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर . . . . . . . . . . . के कारण (कारण विनिर्दिष्ट करें) विवाह के रजिस्ट्रीकरण का ज्ञापन प्रस्तुत नहीं कर सके. हम, हमारे विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा, विवाह के अनुष्ठापन को साबित करने के लिए दस्तावेजों सहित ज्ञापन (प्ररूप—दो) प्रस्तुत करते हैं.

स्थान :

दिनांक :

पति के हस्ताक्षर पत्नी के हस्ताक्षर

**घोषणा, राजपत्रित अधिकारी / सांसद / विधायक / स्थानीय स्वशासी शासकीय संस्था के पार्षद द्वारा अनुप्रमाणित की जाए.**

मैं ........................................................ एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि .................................................. और .................................. के बीच विवाह .............................. को .................................................. (स्थान) में अनुष्ठापित हुआ था तथा इस तथ्य को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं.

स्थान, दिनांक तथा मुद्रा
सहित हस्ताक्षर.

प्ररूप—चार

(नियम 7 देखिए)

**आनन्द विवाह के रजिस्ट्रार का कार्यालय, (स्थान)** . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## विवाह का प्रमाण-पत्र

(मध्यप्रदेश आनन्द विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2013 के नियम 7 के अधीन जारी)

प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . . . . . . . . . . .

दिनांक . . . . . . . . . . . . . .

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी आनन्द विवाह के रजिस्ट्रार के कार्यालय . . . . . . . . . . . . . . . . . . (स्थानीय क्षेत्र) में प्ररूप—एक में संधारित आनन्द विवाहों के रजिस्टर में अनुक्रमांक . . . . . . . . . . . . . . . पर प्रविष्ट कर ली गई है.

1. विवाह की तारीख . . . . . . . . . . . . . .
2. विवाह का स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (प्ररूप—एक के अनुसार)
3. विवाह के पक्षकारों के ब्यौरे :

| ब्यौरे | पति | पत्नी |
|---|---|---|
| (क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) | | |
| (ख) राष्ट्रीयता | | |
| (ग) आयु तथा जन्म तारीख | | |
| (घ) उपजीविका | | |
| (ङ) स्थायी पता | | |
| (च) माता-पिता अथवा संरक्षक का नाम तथा संबंध | | |
| (एक) पिता | | |
| (दो) माता | | |
| (तीन) संरक्षक | | |

छायाचित्र :

(छायाचित्र को आच्छादित करते हुए कार्यालय मुद्रा)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक वर्ष सहित . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

रजिस्ट्रीकरण की तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

आज दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . को मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा से जारी किया गया.

**रजिस्ट्रार**

(स्थानीय क्षेत्र का नाम)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**के. डी. खान,** प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th April 2013

No. F. No. 17(E)121-2013-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Madhya Pradesh Anand Marriages Registration Rules, 2013 made, under Section 6 of the Anand Marriages Act, 1909 (No. 7 of 1909), the State Government, hereby authorise the Collector of the District and in his absence such an officer of the executive administration who becomes successor of him, whether he is of the Collector rank or not, to be the District Registrar for the district concerned and authorise Sub-Divisional Magistrate to be the Registrar of Marriages for the purpose of registration of Anand Marriages commonly known as Anand Karaj solemnized within the State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. D. KHAN, Principal Secy.

Bhopal, the 27th April 2013

F. 17(E)121-2013-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Anand Marriage Act, 1909 (No. 7 of 1909), the State Government, hereby makes the following rules to provide for registration of Anand Marriages namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Anand Marriages Registration Rules, 2013.

(2) It shall come into force on the date of coming into force of the Anand Marriage (Amendment) Act, 2012 (29 of 2012).

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909);

(b) "Anand marriage" means Anand marriage commonly known as Anand Karaj solemnized under the Act;

(c) "District Registrar" means the District Registrar of a district authorised under rule 3;

(d) "Form" means the Form Appended the these rules;

(e) "Register" means a register of Anand Marriage maintained by the Registrar of Marriages;

(f) "Registrar" means the Registrar of Marriages authorised under rule 3;

3. **Athorisation for registration of marriages.**—For the purpose of registration of Anand marriages commonly known as Anand Karaj solemnized within the State, the State Government may, by notification in the official Gazette, authorised an officer to be,—

(a) a District Registrar for the district specified in that notification;

(b) a Registrar of marriages for the areas specified in that notification.

4. **Jurisdiction.**—The Anand Marriage Shall be registered with the Registrar within whose jurisdiction such marriage is solemnized.

5. **Maintenance of Register of Marriages.**—The Registrar shall maintain Register of Anand Marriages in Form-I.

6. **Procedure for registration.**—(1) The parties to the Anand Marriage shall prepare a memorandum in duplicate in Form-II and submit the same to the Registrar along with documents to prove the solemnization of the marriage to the stisfaction of the Registrar and registration fee of rupees fifty within a period of thirty days from the date of solemnization of their marriage :

Provided that for registration of marriages solemnized before the commencement of these rules, such memorandum may be submitted within a period of one year form the date of commencement of these rules.

(2) The memorandum shall be signed by both the parties to the marriage and at least two other persons who have witnessed the marriage.

(3) The parties to the marriage who have not registered their marriage within the period specified under sub-rule (1) may get their marriage registered by submitting the memorandum to the Registrar in Form-II and a Declaration in Form-III along with documents to prove the solemnization of the marriage to the satisfaction of the Registrar and registration fee of rupees two hundred :

Provided that such Declaration shall be attested by a Gazetted Officer or Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Councillor of a Local Self Government Institution.

7. **Verification and registration of marriage.**—(1) Where on verification and scrutiny of the memorandum and documents received under sub-rule(1) or sub-rule (3) of rule 6 the Registrar is satisfied that the marriage has been solemnised, he may enter the particulars of the marriage in the register and issue a Certificate of Anand Marriage in Form-IV.

(2) Where the Registrar has reasons to believe that,—

(a) the marriage between the parties has not been performed in accordance with Anand Marriage ceremony; or

(b) the identity of the parties or the witnesses testifying the solemnization of the marriage is not established; or

(c) the documents tendered before him do not prove the marital status of the parties, he may, call upon the parties to produce such further information or documents as he may deem necessary, for establishing the identity of the parties and the witnesses or correctness of the information or documents presented to him within a period of thirty days from date of receipt of memorandum.

8. **Refusal of Registration of Anand Marriage.**—The Registrar may, for the reasons to be rercorded in writing refuse the registration of marriage, if the parties to the marriage fails to comply with the direction issued by him under sub-rule (2) of rule 7.

9. **Correction of the entries in the register**.—(1) The Registrar may, on an application made by any party to the marriage, if satisfied that there is typographical or clerical mistakes in the entries made in the register or on the Certificate of Registration in relation to the name, age or date of marriage, make suitable corections with previous sanction of the Disrtict Registrar and affix his signature to each such correction.

10. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by the decision of the Registrar may file an appeal to the District Registrar within a period of three months from the date of communication of such decision :

Provided that the delay, if any, in filing such appeal may be condoned for the reasons to be recorded in writing by the District Registrar if the Appellant satisfies District Registrar that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period.

(2) The District Registrar shall, after giving opportunity of hearing to the parties concerned, dispose of the appeal within a period of fifteen days.

11. **Filing of Memorandum.**—(1) The Registrar shall forward duplicate copies of the memorandum received in a month to the District Registrar before the 10th day of every subsequent month.

(2) The original of the memorandum received by the Registrar and duplicate copies forwarded to the District Registrar shall be retained in their offices.

(3) The Registrar shall also forward particulars of the corrections made under rule 9 with the date of correction and a copy thereof to the District Registrar.

FORM-I
(See rule 5)

## REGISTER OF ANAND MARRIAGES

1. Date of marriage :

| 2. Place of Marriage : (specify hall auditorium etc.) | Local area | Village | Tehsil | District |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Signature of the Husband

| Photo of the Husband to be affixed | Photo of the Wife to be affixed |
|---|---|

Signature of the wife

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of marriage) :

| Details | Husband | Wife |
|---|---|---|
| (a) Name in full (in capital letters) | | |
| (b) Nationality | | |
| (c) Age and date of birth (sufficient proof shall be produced) | | |
| (d) Permanent address | | |
| (e) Present address | | |
| *(f) Previous marital status<br>Married<br>Unmarried<br>Widower<br>Widow<br>Divorced | | |
| (g) Whether any spouse is living (if yes, number of spouse living) | | |
| (h) Name of father or guardian and the relationship<br>(i) Age<br>(ii) Address | | |

(i) Name of mother
(i) Age
(ii) Address

*Put (✓) mark on whichever is applicable.

4. Witness of solemnization of marriage :

1. (a) Name :

(b) Address :

2. (a) Name :

(b) Address :

FOR OFFICE USE

5. Date of Receipt of memorandum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Details of documents/records/proof of marriage required under rule 6.

Date :

Registrar

Registation No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ (Year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Registrar

FORM-II
[See rule 6(1)]

MEMORANDUM FOR REGISTRATION OF ANAND MARRIAGE

1. Date of marriage :

| 2. Place of Marriage : (specify hall auditorium etc.) | Local area | Village | Tehsil | District |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

3. Details of Parties to the Marriage (As on the date of marriage) :

| Details | Husband | Wife |
|---|---|---|
| (a) Name in full (in capital letters) | | |

(b) Nationality

(c) Age and date of birth
(sufficient proof shall be produced)

(d) Permanent address

(e) Present address

*(f) Previous marital status
Married
Unmarried
Widower
Widow
Divorced

(g) Whether any spouse is living
(if yes, number of spouse living)

Signature with date

(h) Name of father
(i) Age
(ii) Address
Signature with date
(if he is a consenting party)

(i) Name of mother
(i) Age
(ii) Address
Signature with date
(if she is a consenting party)

---

*Put (✓) mark on whichever is applicable.

4. Witness of solemnization of marriage :

1. (a) Name :
(b) Address :
(c) Signature with date

2. (a) Name :
(b) Address :
(c) Signature with date

5. Details of documents/records/proof of marriage required under rule 6.

## Declaration of the Parties

We . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do hereby declare that the details shown above are true to the best of our knowledge and belief.

Signature of the Parties:

Place : 1. Husband

Date : 2. Wife

**(For Office Use)**

Received by Post/in Person on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Registrar

Registered in the Registrar of Marriages (place). . . . . . . . . . . . . . . . . .on . . . . . . . . . .as Regn. No. . . . . . .

Registrar

FORM-III
[See rule 6(3)]

DECLARATION

We, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Name of the husband and wife) do hereby declare that our marriage was solemnized on . . . . . . . . . . . . . . . . . (date of Marriage) at . . . . . . . . . . . . . (Place of marriage). The memorandum for registration of marriage could not be submitted within the period specified under rule 6 due to . . . . . . . . . . . . . (Specify reason). We hereby submit memorandum (Form-II) along with documents to prove the solemnization of the marriage for the purpose of registration of our marriage.

Place :

Date :

Signature of Husband Signature of Wife

DECLARATION TO BE ATTESTED BY GAZETTED OFFICER/MEMEBER OF PARLIAMENT/ MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY/COUNCILLOR OF LOCAL SELF GOVERNMENT INSTITUTION

I, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hereby certify that the marriage between . . . . . . . . . . . . . . . and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . was solemnized on . . . . . . . . . . . . .at (place) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and the fact is personally known to me.

Signature with place, date and seal

FORM-IV
(See rule 7)

OFFICE OF REGISTRAR OF ANAND MARRIAGE, (Place) . . . . . . . . . .

CERTIFICATE OF MARRIAGE

*[Issued under rule 7 of the Madhya Pradesh anand marriages Registration Rules, 2013]*

Certificate No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This is to certify that the following information has been entered at serial No. . . . . . . . . . . . .of Register of Anand Marriages maintained in Form No. 1 in the Office of the Registrar of Anand Marriage . . . . . . . . . . . . . . (Local area).

1. Date of Marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Place of Marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (as in Form-I)

3. Details of parties to the marriage

| Details | Husband | Wife |
|---|---|---|
| (a) Name in full (in capital letters) | | |
| (b) Nationality | | |
| (c) Age and date of birth | | |
| (d) Occupation | | |
| (e) Permanent address | | |
| (f) Name of parents or guardian and the relationship. | | |
| (i) Father | | |
| (ii) Mother | | |
| (iii) Guardian | | |

Photographs :

(Office seal covering Photographs)

Registration No. with year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date of Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Issued under my hand and seal on this the . . . . . . . . . . . . . .day of . . . . . . . . . . . . . .

Registrar
(Name of Local Area)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. D. KHAN, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.